दिनांक–05.03.2025 को निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में उत्तरी बिहार के सभी जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव
   (2) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (3) श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव
   (4) श्री आलोक कुमार, उप सचिव
   (5) श्री गोपाल शरण, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (6) श्रीनिवास सिंह, राज्य क्वालिटी मॉनिटर
   (7) श्री आशुतोष कुमार, Project Lead

2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। सभी जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।
3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

   i **जिला परिषद् द्वारा धारित भूमि का भौतिक सत्यापन एवं दाखिल खारिज प्रतिवेदन:–**
   जिला परिषद् द्वारा धारित भूमि के सत्यापन एवं दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण, सारण, सीतामढ़ी एवं सुपौल का भूमि सत्यापन निम्न् पाया गया है। सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को निदेश दिया गया है कि भूमि सत्यापन एवं दाखिल खारिज को एक सप्ताह में ऑनलाईन किया जाए।

   (अनुपालन:– संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

   ii **RTPS की अद्यतन स्थिति:–**
   RTPS के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला अररिया, बेगूसराय, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियां, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर एवं गोपालगंज में प्राप्त आवेदनों की संख्या 10 से कम है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। इस सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि आवेदनों की प्राप्ति में वृद्धि किया जाए। ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति अन्य कार्यालय में कर लिया जाता है, जिससे RTPS केन्द्र का संचालन नहीं हो पाता है। किसी भी परिस्थिति में कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति अन्य कार्यालयों में नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में

कृ०पृ०उ०........

संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित करें एवं संबंधित कार्यपालक सहायक का वेतन रोक दें।

(अनुपालनः– संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

iii. बायोमेट्रिक उपस्थिति की अद्यतन स्थिति :–

इस संबंध में सभी जिलों को निदेशित किया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति की समीक्षा प्रतिदिन जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं तद्नुसार कार्रवाई किया जाए।

(अनुपालनः– संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

iv. पंचायत सचिव के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अद्यतन स्थिति :–

पंचायत सचिव के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि विभागीय आदेश की अवहेलना करने वाले पंचायत सचिव के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें एवं इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय। पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने वाले जिला पंचायत राज पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करने का निदेश दिया। निदेशित है कि प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम कचहरी का आयोजन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालनः– संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

v. Grievances in e-Panchayat :–

निदेशक महोदय द्वारा **e-Panchayat** पोर्टल से संबंधित समस्याओं को यथाशीघ्र समाधान करने एवं पोर्टल पर Grievances एक सप्ताह के अन्दर निष्पादित करने का निदेश दिया गया। अनुश्रवण कोषांग को यह निदेश दिया गया है कि पोर्टल पर शिकायत को AnyDesk के माध्यम से समाधान करे एवं पूर्व में हुए त्रुटि को यथाशीघ्र समाप्त करें। साथ ही सभी जिलों से सम्पर्क कर शिकायत को यथाशीघ्र निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– अनुश्रवण कोषांग, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

11/3

(आनन्द शर्मा)
निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—9प० / प्र०—08—802(खण्ड) / 2016 / 3819 / पं०रा०   पटना, दिनांक 13 / 3 / 2025
प्रतिलिपिः—सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार / सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार / सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः—9प० / प्र०—08—802(खण्ड) / 2016 / 3819 / पं०रा०   पटना, दिनांक 13 / 3 / 2025
प्रतिलिपिः— सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव के आशुलिपिक / निदेशक के आशुलिपिक / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः—9प० / प्र०—08—802(खण्ड) / 2016 / 3819 / पं०रा०   पटना, दिनांक 13 / 3 / 2025
प्रतिलिपिः—श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई—मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव